



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462026

क्रमांक: 582 /भण्डार/2020

भोपाल, दिनांक: 22-5-2020

:: सीमित निविदा ::

विषय:- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सेनेटाईजेशन सामग्री क्रय ।

-----00-----

विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सेनेटाईजेशन सामग्री क्रय की जाना है। अतः सेनेटाईजेशन संबंधी सामग्री प्रदाय हेतु सीमित निविदा पत्र कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से दिनांक: 22-5-2020 एवं समय 3-00PM तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्र वाहक से कुलसचिव कार्यालय, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462026 के पते पर भेजे। क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No.	Particular	Quantity	Rate per Nos/Ltr	Amount
01	Thermal Scanner Handy	05 Nos		
02	Hand sanitizer dispenser Manual 500 ML	25 Nos		
03	Hand sanitizer dispenser Manual 1000 ML	25 Nos		
04	Automatic Hand sanitizer dispenser 5 Litre Powered Operated Machine	04 Nos		
05	Sanitizer Spray Machine Manual Hand Operated 8 Litre	04 Nos		
06	sanitizer Spray Machine Manual Hand Operated 16 Litre	02 Nos		
07	Battarry operated sanitizer Machine with Double Motor 18 Litre Spray	05 Nos		
08	Hand Sanitizer 72% Ethyal Alcohol Based 5 Litre	25 Nos		
09	Sodium Hypo Chlorite Solution 6%	500 Ltr		
10	Nitrile Gloves	400 Nos		
11	Surgical Gloves	400 Nos		
12	Cotton Gloves	200 Nos		

नियम एवं शर्तें-

- (1) निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मों से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- (2) सामग्री का प्रदाय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- (3) सेनेटाईजेशन संबंधी उक्त सामग्री रुपये 5-00 लाख की सीमा के अन्दर क्रय की जावेगी। सामग्री क्रय की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
- (4) फर्म को सेनेटाईजर डिस्पेन्सर को विश्वविद्यालय के बताए स्थान पर लगाना होगा तथा आटोमेटिक स्प्रे मशीन को चला कर दिखाना होगा।
- (5) फर्म/संस्था/प्रोप्राईटर का जी0एस0टी0 नम्बर तथा पेन कार्ड संलग्न करें।
- (6) जी.एस.टी. की दर कोटेशन में पृथक से प्रस्तुत करें।
- (7) किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
- (8) न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

(डॉ. बी. भारती)

कुलसचिव